वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2016

सा.का.नि.83— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालयों तथा निदेशालयों में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, आयुक्तालय तथा निदेशालय, निजी सचिव (समूह ख पद), भर्ती नियम, 2015 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अथवा इससे संबद्ध वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. विशेष उपबंध - प्रत्येक आयुक्तालय तथा निदेशालय का अपना अलग काडर होगा जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा उसकी ओर से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें, वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय पद्धति के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव	340* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति जैसे कि सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी -1 जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे :-** 1. संवर्ग नियंत्रक, प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महा निदेशक अथवा महा निदेशक - **अध्यक्ष** **2.** प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त अथवा प्रधान अपर महा निदेशक अथवा अपर महा निदेशक - **सदस्य** **3.** अपर अथवा संयुक्त आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) - **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/13/2012-एडी. II बी]

बी. के. मंथन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th May, 2016

G.S.R.83— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Collectorate of Central Excise, Senior Personal Assistant Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Commissionerates and Directorates under the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Commissionerates and Directorates, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Special provision.- Each Commissionerate and Directorate shall have its own separate cadre, unless otherwise provided by the Central Board of Excise and Customs in this behalf.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Secretary	340* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4600.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-I in the pay band – 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-** 1. Cadre Controlling Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General **– Chairman** 2.Principal Commissioner or Commissioner or Principal Additional Director General or Additional Director General **– Member** 3. Additional or Joint Commissioner (Personnel and Vigilance) **– Member**	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-12018/13/2012-Ad.IIB]

B. K. MANTHAN, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सा.का.नि.84.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उसका संबंध प्रयोगशाला परिचर, हैड पैकर, पैकर, लेबलर, खलासी, लेबर, पशु परिचारक और फैरियर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में प्रयोगशाला परिचर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशाला परिचर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।